लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

5th

LOK SABHA DEBATES

[तीसरा सत्र
Third Session]

[खंड 10 में अंक 21 से 31 तक हैं
Vol. X Contains Nos. 21 to 31]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 31—गुरुवार, 23 दिसम्बर, 1971/2 पौष, 1893 (शक)
No. 31—Thursday, December 23, 1971/Pausa 2, 1893 (Saka)

ता० प्र० संख्या S. Q. NO.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re. Question of Privileges	1–2
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	2–5
राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha	5
विधेयकों पर अनुमति	Assent to Bills	5
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee	5
22वाँ प्रतिवेदन	Twenty Second Report	5
उपदान संदाय विधेयक	Payment of Gratuity Bill .	5–6
प्रवर समिति में एक सदस्य की नियुक्ति	Appointment of a Member to Select Committee	5–6
चीनी सम्बन्धी नीति के बारे में दिये गये वक्तव्य पर चर्चा	Discussion re. Statement on Sugar Policy	6–15
श्री नरसिंह नारायण पांडे	Shri Narsingh Narain Pandey	6
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra .	6–7
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee .	7
श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody	7
श्री मुल्की राज सैनी	Shri Mulki Raj Saini	7–8
श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य	Shri S. P. Bhattacharyya .	8
प्रो० शिब्बन लाल सक्सेना	Shri S. L. Saxena	10
श्री के० नारायण राव	Shri K. Narayana Rao	10
श्री डी० के० पण्डा	Shri D. K. Panda .	10–11
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	11
श्री राम चन्द्र विकल	Shri Ram Chandra Vikal .	12
श्री के० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana	12–13
श्रीमती शीला कौल	Shrimati Sheila Kaul	13
श्री सरजू पांडे	Shri Sarjoo Pandey .	13–14
श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Shri F. A. Ahmed	14–15

विषय ता० प्र० संख्या S. Q. NO.	SUBJECT	पृष्ट PAGES
अध्यक्ष का अभिभाषण	Address by the Speaker	15
बिहार के पूर्णिया जिले में संथालों की हत्या के समाचार के सम्बन्ध में दिये गये वक्तव्य के बारे में चर्चा	Discussion re. Statement on Reported killing of Santhals in Purnea District of Bihar	15
श्री कार्तिक उरांव	Shri Kartik Oraon	15–17
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya	17
श्री पी० के० घोष	Shri P. K. Ghosh	18
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha	18–19
श्री शक्ति कुमार सरकार	Shri Sakti Kumar Sarkar	19
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	20
श्री धनशाह प्रधान	Shri Dhan Shah Pradhan	20
श्री चन्द्र शैलानी	Shri Chandra Shailani	20–21
श्री भालजी भाई परमार	Shri Bhaljibhai Parmar	21
श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी	Shri Swami Brahmanandji	21
श्री भगीरथ भंवर	Shri Bhagirath Bhanwar	21–22
श्री आर० डी० भण्डारे	Shri R. D. Bhandare	22
श्री शम्भू नाथ	Shri Shambhu Nath	22
श्री रामवतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	23
श्री आनन्दी चरणदास	Shri Anandi Charan Das	23
श्री सत्यचरण बेसरा	Shri S. C. Besra	23
श्री कुमार माझी	Shri Kumar Majhi	23
श्री छोटे लाल	Shri Chhotey Lal	23–24
श्री रामजी राम	Shri Ramji Ram	24
श्री साधु राम	Shri Sadhu Ram	24
श्रीमती मिनिमाता अगमदास	Shrimati Minimata Agamdas	24
श्री जगन्नाथ मिश्र	Shri Jagannath Mishra	24–25
श्री एफ० एच० मोहसिन	Shri F. H. Mohsin	25

लोक-सभा

LOK SABHA

गुरुवार 23 दिसम्बर 1971/2 पौष 1893 (शक)

Thursday, December 23, 1971/Pausa 2, 1893 (Saka)

लोक-सभा दस बज कर दो मिनट पर समवेत हुई

The Lok Sabha met at two minutes past Ten of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

[Mr. Speaker in the Chair]

विषेशाधिकार के प्रश्न के चारे में

RE : QUESTION OF PRIVILEGE

Shri B.S. Bhaura (Bhatinda) ; Sir, I had given notice of a privilege motion and I have also received the reply. But I am sorry to say that the reasons given in the reply from Lok Sabha Secretariat are not Consistents. with the facts. Therefore, I request you to refer this case to the Committee of Privileges.

डा० सरदीश रायः (बोलपुर) : मेरे स्थगन प्रस्ताव पर क्या किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने समूचे मामले की जांच कर ली है। यद्यपि ये मामले सभा से सम्बन्धित नहीं हैं, तथापि ऐसी घटनाओं का होना दुर्भाग्यपूर्ण है। सभा के बाहर जो घटनायें होती हैं उनके सम्बन्ध में संसद सदस्य और नागरिक में बहुत सूक्ष्म अन्तर होता है। जब समिति ने इस मामले की जांच की थी तब हमने इसे निपटा दिया था। माननीय सदस्य इसे विशेषाधिकार का प्रश्न समझ सकते हैं, परन्तु मेरे विचार से यह ऐसा नहीं है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : यदि अध्यक्ष महोदय यह निर्णय करते हैं कि जो मामला सभा के कार्य से सम्बन्धित नहीं होगा, वह विशेषाधिकार का मामला नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में सभा से बाहर संसद-सदस्य के रूप में कार्य करना बहुत कठिन हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : संसद-सदस्य कानून के ऊपर नहीं हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं इस बात से सहमत हूं। मैं किसी विशेषाधिकार का दावा नहा कर रहा हूं। मैं तो एक नागरिक हूं और अन्य नागरिकों को भी वही अधिकार मिलने चाहिये जो मुझे प्राप्त हैं। ऐसी स्थिति में विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध किया जाना चाहिये। **(अन्तर्बाधायें)** मंत्रियों तथा संसद-सदस्यों को किसी भी प्रकार के विशेषाधिकारों का दावा नहीं करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु सभा के बाहर संसद-सदस्य जो कुछ करते हैं, उसके लिये आप विशेषाधिकार प्रदान नहीं कर सकते हैं **(अन्तर्बाधायें)** संसद-सदस्य कोई महा-मानव नहीं है। सभा के बाहर प्रत्येक संसद-सदस्य एक सामान्य नागरिक की भांति होता है। यदि उसको सभा के कार्यों को करने से रोका जाता है, वह अलग बात है। यदि वह सभा से बाहर होता है तो उस पर कानन और उपलब्ध उपचार सभी लागू होते हैं

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gawalior) : Since the House is to adjourn *sin die* to-day, I would like that time should be given to discuss the ceasefire and its aftermaths. At least, the Government should give assurance that no decision for withdrawing the troops will be taken when the House is not in session. We are sceptical that we will be faced with *fait accompli* when the next session begins. War was fought for 14 days. The House could not get any opportunity to discuss the war situation. To-day, there is a talk about ceasefire. The Minister of External Affairs has but certain proposals in the U.N. Parliament should be taken into confidence and opportunity should be given to have a discussion.

श्री एस० एम० बनर्जी : जब आप विदेश जाते हैं तो राजनयिक पार-पत्र लेकर जाते हैं। ऐसा क्यों ?

अध्यक्ष महोदय : अन्य विषयों को इसके साथ मत लाइये।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं सभा के बाहर पुलिस के साथ लड़ सकता हूं। 12 वर्ष की अवस्था से हमें पुलिस द्वारा पीटा गया है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं राज्य में और यहां कई वर्षों तक सदस्य रहा हूं। जब हम विरोधी दल में थे तो हमारे साथ और अधिक खराब व्यवहार किया जाता था परन्तु हमें उसका सामना करना पड़ता था। **(अन्तर्बाधा)** मैं घावों के चिन्ह दिखा सकता हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं भी दिखा सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जो मामला सभा के कार्य से सम्बन्धित नही होगा वह विशेषाधिकार के अन्तर्गत नहीं आयेगा।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : यदि पुलिस को ज्ञात है कि वह हमें पीट सकती है तो हम रोजाना आपके पास आयेंगे।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप पुलिस के व्यक्ति से कहें कि आप सभा में आ रहे हैं और वह आपको प्रवेश से इन्कार करता है तब वह विशेषाधिकार का मामला है।

श्री एस० एम० बनर्जी : ऐसा समाचार था कि शेख मुजीबुर्रहमान को रिहा कर दिया गया है परन्तु वह नजर बन्द हैं। हम सही स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं। इस बारे में सरकार एक वक्तव्य दे।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय यहां नहीं हैं। उन्हें आने दिया जाये।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

Papers Laid on the Table

मैसूर सरकार की अधिसूचना के अन्तर्गत पत्र, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में यथा प्रवृत बंगाल वित्त (विक्रय कर) अधिनियम के अन्तर्गत पत्र, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, पश्चिम बंगाल राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, पश्चिमी बंगाल लाटरी (कर) अधिनियम और पश्चिमी बंगाल कराधान विधियां (संशोधन) अधिनियम के अधीन पत्र

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) मैं मैसूर राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 27 मार्च, 1971 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित मैसूर बाजी लगाना कर अधिनियम, 1932 की धारा 8-क की उपधारा (2) के अन्तर्गत मैसूर सरकार की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1340 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो मैसूर राजपत्र दिनांक 29 जुलाई, 1971 में प्रकाशित हुई थी। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1354/71]**।

(2)(एक) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में यथा प्रवृत्त बंगाल वित्त (विक्रय दर) अधिनियम, 1941 की धारा 26 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एफ० 4(132)/69-फिन (जी) हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति जो दिल्ली राजपत्र दिनांक 24 नवम्बर, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर, 1969 की अधिसूचना संख्या एफ० 4(132)/69-फिन (जी) में कतिपय संशोधन किया गया है ;

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1355/71]**

(3) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनायें (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 1756 जो भारत के राजपत्र दिनांक 20 नवम्बर 1971 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) जी० एस० आर० 1845 जो भारत के राजपत्र दिनांक 7 दिसम्बर, 1971 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1356/71]**

(4) पश्चिमी बंगाल राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1971 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिनियमों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) पश्चिमी बंगाल लाटरी (कर) अधिनियम, 1971 (राष्ट्रपति का 1973 का अधिनियम संख्या 19) जो भारत के राजपत्र दिनांक 14 दिसम्बर, 1971 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) पश्चिमी बंगाल कराधान विधियां (संशोधन) अधिनियम, 1971 (राष्ट्रपति का 1971 का अधिनियम संख्या 20), जो भारत के राजपत्र दिनांक 14 दिसम्बर 1971 में प्रकाशित हुआ था। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1357/71]**

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पत्र

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां): मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1)(एक) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड कलकत्ता के वर्ष 1970-71 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड, कलकत्ता, का वर्ष 1970–71 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1358/71]**

(2) (एक) बोकारो स्टील लिमिटेड के वर्ष 1970–71 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बोकारो स्टील लिमिटेड का वर्ष 1970–71 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। **[ग्रन्थालय में रखा गये। देखिए संख्या एल० टी० 1359/71]**

(3) (एक) भारत हैवी प्लेट एण्ड वैसल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम्, के वर्ष 1970–71 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1360/71]**

(दो) भारत हैवी प्लेट एण्ड वैसल्स लिमिटेड विशाखापत्तनम् का वर्ष 1970–71 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) (एक) त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स् लिमिटेड के वर्ष 1970–71 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी संस्करण।

(दो) त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड का वर्ष 1970–71 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। **[ग्रन्थालय में रखे गया। देखिए संख्या एल० टी० 1361/71]**

अन्दमान और निकोबार प्रशासन का वार्षिक वेदन

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) श्री कृष्ण चन्द्र पन्त की ओर से: मैं अन्दमान और निकोबार प्रशासन के वर्ष 1970–71 के वार्षिक सामान्य प्रशासन प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1362/71]**

गुजरात देवस्थान इनाम उत्पादन अधिनियम के अन्तर्गत पत्र

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): मैं गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 13 मई, 1971 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित गुजरात देवस्थान इनाम उत्सादन अधिनियम, 1969 की धारा 29 की उपधारा (2) के अन्तर्गत गुजरात देवस्थान इनाम उत्सादन (संशोधन) नियम दिनांक 1971 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो गुजरात सरकार राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी०/एच०/एम०/4622/एन० डी० ए० आर०/1071-वाई में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1363/71]**

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पत्र

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (प्रो० शेर सिंह): मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारतीय डेरी निगम, बबौदा के 31 मार्च, 1971 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखा परीक्षित लेखे सभा-पटल पर रखता हूं।। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1364/71]**

चाय बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन

प्रो० शेर सिंह: श्री ए० सी० जार्ज की ओर से: मैं चाय बोर्ड के वर्ष 1969–70 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1365/71)

राज्य सभा से संदेस

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमान्, मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है :—

"राज्य सभा, 21 दिसम्बर, 1971 को अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 15 दिसम्बर, 1971 को पास किये गये पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन) विधेयक 1971 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।"

विधायकों पर अनुमति

ASSENT TO BILLS

सचिव : मैं संसद की दोनों सभाओं द्वारा चालू सत्र के दौरान पास किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति-प्राप्त निम्नलिखित तीन विधेयक सभा-पटल पर रखता हूं।

(1) विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1971

(2) विनियोग (रेल) संख्या 3 विधेयक, 1971

(3) पंजाब विनियोग (संख्या 2) विधेयक 1971

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

श्रीमती मुकुल बनर्जी (नई दिल्ली) : मैं सीमा-शुल्क के सम्बन्ध में समिति के 110वें प्रतिवेदन (चौथी लोक सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में लोक लेखा समिति का 22वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं।

उपदान संदाय विधेयक

PAYMENT OF GRATUITY BILL

प्रवर समिति में एक सदस्य की नियुक्ति

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिल-कर): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा उस प्रवर समिति में, जिस सभा द्वारा 21 दिसम्बर, 1971 को कारखानों, खानों, बागानों, दुकानों अथवा अन्य स्थापनों में लगे हुए कर्मचारियों को उपदान के संदाय के लिए एक स्कीम का तथा उससे सम्बद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाला विधेयक सौंपा गया था, श्री राम रतन शर्मा के **स्थान पर** श्री हुकुम चन्द कछवाय को **नियुक्त करती** है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा उस प्रवर समिति में, जिस सभा द्वारा 21 दिसम्बर, 1971 को कारखानों, खानों, बागानों, दुकानों तथा अन्य स्थापनों में लगे हुए कर्मचारियों को उपदान के संदाय के लिये एक स्कीम का तथा उसके सम्बद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाला विधेयक सौंपा गया था श्री राम रतन शर्मा के **स्थान पर** श्री हुकुम चन्द कछवाय को **नियुक्त करती** है।"

चीनी सम्बन्धी नीति के बारे में दिये गये वक्तव्य पर चर्चा

DISCUSSION *RE.* STATEMENT ON SUGAR POLICY

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर चर्चा एक घंटे तक की जानी है। इस समय एक घंटा पूरा हो गया है। अब किसी भी माननीय सदस्य को बोलने का समय नहीं दिया जायेगा।

Shri Narsingh Narain Pandey (Gorakhpur) : I require at least ten minutes.

अध्यक्ष महोदय : आप छः मिनट ले लीजिए।

Shri Narsingh Narain Pandey : It is mentioned in the Statement made by the Minister of Agriculture that the sugar mills will be allowed 40 per cent of 14 lakh tonnes of sugar for free sale and the remaining 60 per cent will be sold at the Fair Price Shops at the control rate of Rs. 2/- per Kg. For the last three or four years, the Government has not been able to follow a determined policy. It has also been said in the statement that prices of sugar-cane should be fixed at Rs. 7.37 P. per quintal so that prices of sugar may not shoot up. The mill-owners have succeeded in making huge profits due to this half-hearted sugar policy. A huge amount worth Rs. 13 crores due to the farmers. How much amount has so far been paid to them ?

All the Chief Ministers have written that a minimum price of sugarcane should be fixed. The U.P. Chief Minister has suggested that this price should be at least Rs. 10 per quintal. This has not been taken into consideration. The previous price fixation are the result of the whims of Mill owners.

The Government has admitted that the peasants have a right to bargain with mill-owners. But how ? There is the law of reservation in U.P. and Bihar the Ministry of Agriculture should see to it while making a statement.

The Government has given protection to Mill-owners but they could not affect reduction in the prices of sugar. No such protection has been given to the farmers and this has resulted in thirty per cent decrease in sugar-cane cultivation. The annual sugar consumption in our country is 40 lakh tons. We are exporting 4.5 lakh tons to 7 lakh tons of sugar for earning foreign exchange. If the present policy continues, what will be the fate of its industry which provides employment to 15 crores of farmers and labourers ? The Government should say good bye to this policy. This, in no way, can bring socialism.

The farmers should get Rs. 13-14 according to Tarrif Commission's Report and Sugar Enquiry Commissions Report. But at least the Chief Ministers' suggestion for Rs. 10/ should be accepted. The Honourable Minister should clearly state the sugar policy. He should announce the price of sugarcane as Rs. 10 if not Rs. 12. This will create an atmosphere in which sugar production can increase.

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : May I know from the Government the basis on which the minimum price for sugarcane has been fixed ? Does it include the cost of sugarcane production ? Has any Member of Parliament been taken into confidence who can represent the farmer ?

Our Constitution speaks of social justice what is this justice ? Government has statutory right to fix the price for sugarcane. Government should call the representatives of Millowners and farmers and fix the price. But here the prices are fixed by those who have no interest in villages! They favour the capitalists.

There is the law of reservation which prevents us from disposing of sugarcane to some one else. Such an act is punishable under Indian Penal Code.

I will request the Agriculture Minister to bring this issue of price fixation once again before the Cabinet. Our Prime Minister is very sympathetic and I hope that a just decision will be taken.

The farmer is not only given a low price for his product, but he has also to buy every necessity at a much higher price. I, therefore, want that the farmer should be given a minimum price of Rs. 10.

If we talk of forming a farmers Organisation our party is not happy. But that is not the case when it comes to capitalists, Government employees and labour unions. The Government should be impartial to all.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gawalior) : Sir, I congratulate Shri Pandey for bringing before the house such an important subject. It is fact that the sugar policy of the Government is not well planned. The experience has been that this policy neither safeguards the interests of farmers nor of the Consumers.

I have my apprehensions about a sugar famine if the farmer is not given incentives to produce more. It is also necessary that a co-ordinated policy should be formulated about sugar, gur and Khandsari. It is difficult to understand that sugarcane price has been increased in some of the States and not in other states. Hon'ble Minister talks of bargaining. But the farmer can't bargain as he can't keep sugarcane or the fields for a long time.

The situation, to day demands that Rs. 10/ should be the minimum price for sugarcane. Mills should be directed to increase this price and make the sugar available at a fair price for the consumers.

श्री पीलू मोदी (मोधरा): मैं कुछ समय से चीनी समस्या का अध्ययन कर रहा हूं और इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि सरकार की किसी प्रकार की अल्पकालिक अथवा दीर्घ-कालिक चीनी-नीति नहीं है। सरकार इसे अपने छोटे मोटे राजनीतिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग करती रही है।

चीनी के उत्पादन में अत्यधिक उतार-चढ़ाव रहता है, अर्थात् कभी तो यह उत्पादन 45 लाख टन हो जाता है और कभी 22 लाख टन रह जाता है। अगले वर्ष यह उत्पादन 33 लाख टन होगा जो कि हमारी आवश्यकता से 11 लाख टन कम है। मेरे समझ में नहीं आता कि ऐसे तथ्य सामने होते हुये भी सरकार चीनी समस्या का समाधान करने के लिये कोई नीति निर्धारण क्यों नहीं करती है। उत्पादन के आंकड़ों से पता चलता है कि जब भी गन्ने के मूल्य में वृद्धि हुई है तभी उत्पादन भी बढ़ा है। परन्तु सरकार नें इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है।

सरकार के पास गन्ने का मूल्य निर्धारण करने के लिए पांच अथवा छः प्रकार की कसौटियां हैं। उनके अनुसार गन्ने का मूल्य प्रति वर्ष एकसा कभी नहीं रह सकता। उत्पादन लागत में वृद्धि हो रही है, जीवन निर्वाह के प्रत्येक वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है, परन्तु गन्ने का मूल्य स्थिर है। यह तर्क मेरी समझ से बाहर है।

Shri Mulki Raj Saini (Dehra Dun) : This question has come up for discussion after a very long time. It is true that Government has no policy about sugar. They have

ignored the interests of the farmer and consumers both. The farmer is at a loss both as a producer and as a Consumer.

Members know it quite well that many a farmer has to go to jail for non-payment of loans. No one is prepared to go to jail if there is some money with him. The Government thinks that prices will not rise if prices of farmers' produce are not allowed to rise. But our experience does not bear testimony to this. Prices of other Commodities keep on rising though price of farmers' produce is not allowed to rise.

I want to know about the basis for price fixation of sugarcane. It helps neither the farmer nor the consumers. The nation is faced with a great danger. Sugar production is decreasing as has been said by Mr. Mody and Mr. Vajpayee. If the farmer is not given a re nunerative price for his sugarcane, he will change over to other cash crops which will fetch more money for him.

Apart from this, the position of the recovery of farmers' balance is very alarming. The farmer would not grow sugarcane if the present position continues. Sugarcane will be sown in January and February. The price should be raised to Rs. 10 at once. Mill-owners, State Governments, cane Federation, Agriculture Consultative Committee are already for it and this house also feels in the same vein. Therefore, the minimum prirce should be fixed at Rs. 10 without any loss of time. I hope, the Government will give its immediate attention to this.

***श्री एस० पी० भट्टाचार्य (उलुबेरिया):** अध्यक्ष महोदय, सरकार की चीनी नीति के बारे में इस सदन में कई बार चर्चा की जा चुकी है परन्तु प्रत्येक बार यही देखने को आया है कि सरकार ने चीनी के बारे में जो भी नीति अपनाई उससे केवल चीनी मिल मालिकों का ही हित हुआ गन्ना उत्पादकों या उपभोक्ताओं को नहीं।

गन्ना उत्पादकों की बकाया राशि के भुगतान का प्रश्न भी सदन में कई बार उठाया जा चुका है। गन्ना उत्पादकों को मजबूर होकर अपना गन्ना मिल मालिकों को बेचना पड़ता है क्योंकि वह फसल को खेतो में नहीं रख सकते। बिहार तथा उत्तर प्रदेश के गन्ना-उत्पादकों की समस्याओं के बारे में कई सदस्यों ने प्रकाश डाला है। यह बात नहीं है कि सरकार को उनकी जानकारी नहीं है परन्तु वास्तविकता यह है कि सरकार गन्ना उत्पादकों की कठिनाइयों को कम नहीं करना चाहती। सरकार हर बार यही कहती आई है कि हमारी चीनी नीति अच्छी है परन्तु सरकार का यह दावा तो तभी सही हो सकता है उससे गन्ना उत्पादक सन्तुष्ट हों। आज के वक्तव्य में भी गन्ना उत्पादकों को नकद भुगतान करने के बारे में कोई गारंटी नहीं दी गई है।

श्रीमान् जी अब बंगला देश एक स्वतन्त्र देश बन चुका है। उसकी चीनी की मांग भी भारत को पूरी करनी पड़ेगी। इस समय दल्ली में चीनी का भाव 2.50 रुपये प्रति किलो चल रहा है और जब बंगला देश को चीनी का निर्यात आरम्भ हो जायेगा तो इसका मूल्य 3 रुपये किलो हो जायेगा। अतः अब तक सरकार ने चीनी के बारे में जो नीति अपनाई है उससे गन्ना उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं दोनों ही का शोषण हुआ है। जब तक यह शोषण समाप्त नहीं होता तब तक हम चीनी की नीति में कोई सुधार नहीं कर सकते।

श्रीमान जी, पश्चिम बंगाल स्थित अदमपुर (वीरभूम) चीनी मिल बन्द कर दी गई है। उसके मालिक न गन्ना उत्पादकों का एक लाख रुपया नहीं दिया। उसने मिल की मशीनों को सस्ते दामों पर बेच दिया। यह सम्पूर्ण बातें कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक सरकार चीनी के बारे में उचित

*बंगाली में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

नीति नहीं अपनाती तब तक न तो गन्ना उत्पादन में वृद्धि हो सकती है और न ही उपभोक्ताओं को चीनी उचित दामों पर मिल सकती है। परन्तु ऐसा रचनात्मक कार्य करने की अपेक्षा सरकार केवल वक्तव्य जारी करती रहती है। सरकार को इस मामले में एक सुदृढ़ और स्पष्ट नीति अपनानी चाहिये और चीनी का मूल्य 2 रुपये प्रति किलो से अधिक नही होना चाहिये। इन मागों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर): श्रीमान जी, हमने यह सुना है कि संविधान संशोधन विधेयक आज विचार के लिए पेश नहीं किया जा रहा।

अध्यक्ष महोदय: जी हां, आपने ठीक ही सुना है।

श्री एस० एम० बनर्जी : अब हमारे पास कुछ समय तो बच ही जायेगा। अतः मेरा सुझाव है कि इस समय में अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर विचार कर लिया जाये। क्योंकि श्री स्वर्ण सिंह यहां नहीं हैं अतः राष्ट्र संघ की स्थिति के बारे में तो विचार नहीं किया जा सकता। एक तो हम शेख मुजीबुर्रहमान की रिहाई और दूसरे बंगला देश में अत्याचार करने वाले सैनिक अधिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाने के बारे में विचार करना चाहते हैं। इन दो महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करने के बाद उन विभिन्न देशों के व्यवहार के बारे में में भी विचार कर सकते हैं जिन्होंने कि इस युद्ध में हमारा साथ दिया या हमारा विरोध किया। इस पर चर्चा के लिए कम से कम दो घंटे का समय दिया जाना चाहिये। आशा है कि सभी दलों के नेता मेरे इस सुझाव का समर्थन करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : जो कार्यवाही आज की कार्य-सूची में नहीं है मैं उसकी अनुमति नहीं दे सकता वैसे सरकार आये दिन अपने स्थिति स्पष्ट करती रहती है। जब तक विदेश मंत्री स्वदेश नहीं लौटते तब तक सरकार कुछ कहना नहीं चाहती। (व्यवधान)

श्री एस० एम० बनर्जी : सरकार को शेख मुजीबुर्रहमान के बारे में तो वक्तव्य देना चाहिये। आज तो इस सत्र का अन्तिम दिन है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है आप ने जो कुछ कहना था आप कह चुके हैं।

डा० रानेन सेन (बारसाट): श्री बनर्जी द्वारा एक ओर महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया था . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता। आपके दल का एक सदस्य पहले ही बोल चुका है।

डा० रानेन सेन: वह प्रश्न यह था कि : . . . .

अध्यक्ष महोदय: मेरी आज्ञा के बिना कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में नहीं जायेगी। मैं इसकी अनुमति नहीं देता।

डा० रानेन सेन: **

अध्यक्ष महोदय: आपको मेरी स्थिति समझने का प्रयास करना चाहिये। जब आपको सब कुछ मालूम होता फिर आप इस प्रकार की बातें क्यों करते है? मैं समझता हूं कि संविधान [(अठाईसवां संशोधन) विधेयक पेश नहीं किया जा रहा।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर): जो संविधान संशोधन विधेयक वापिस ले लिया गया है उससे सम्बद्ध एक ओर बात भी है।

समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित किया गया है कि तमिल नाडु, केरल और पश्चिम बंगाल को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में चुनाव हो रहे है। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने ऐसा कोई निर्णय किया है।

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

Not recorded.

अध्यक्ष महोदय: यह आप किसी अन्य अवसर पर पूछ सकते हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य: आज इस सत्र का अन्तिम दिन है। कल न आप यहां होंगें और न ही मैं। अत: सरकार को आजही इसके बारे में वक्तव्य देना चाहिये। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप तो बहुत समझदार व्यक्ति हैं। क्या आप मेरी बात सुनेंगे ?

प्रो० एस० एल० सक्सेना (महाराजगंज): देश में 1968 में जो स्थिति थी उसमें और इस वर्ष की परिस्थितियों में कोई अन्तर नहीं आया है। उस वर्ष 40 प्रतिशत चीनी खुले बाजार में और 60 प्रतिशत नियंत्रित रुप में निश्चित की गई थी। उस समय गन्ने का भाव 8 रुपये से 13 रुपये प्रति क्विंटल था। फिर भी हमने 40 प्रतिशत खुली चीनी का मूल्य 8.50 रुपये है जबकि यह उस समय 12.75 रुपये था। यदि सरकार चाहती है कि हम सौदाबाजी करें तो हम यह भी कर सकते हैं। किन्तु हम यह चाहते नहीं। सरकार को पता होना चाहिये कि इस समय बाजार में गुड़ का मूल्य 100 रुपये प्रति क्विंटल और गन्ना उत्पादक को 12 रुपये घर बैठे मिल जाते हैं जबकि चीनी मिल से उसे सर्दी में रात भर प्रतिक्षा करने के बाद केवल 8.50 रु० मिलते हैं। इसलिए सरकार को गन्ने का मूल्य 12 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करना चाहिए।

यदि सरकार चीनी का अधिक उत्पादन चाहती है तो यह उसके अपने हित में है कि वह गन्ने के मूल्य में वृद्धि करे, अन्यथा गन्ना गुड़ और खण्डसारी बनाने वालों के पास पहुंच जायेगा और चीनी मिलों को नहीं मिल पायेगा। यहां तक कि गन्ने का उत्पादन भी कम होने लगेगा। इसलिए यदि चीनी के अकाल से बचना चाहते हैं तो हमें गन्ने के मूल्य में वृद्धि करनी चाहिए। यह अत्यन्त आवश्यक बात है। चीनी के सम्बन्ध में कोई उचित नीति अपनाई जानी चाहिए। अन्यथा इस बात के कहने का कोई अर्थ नहीं है कि चीनी के मूल्य में वृद्धि नहीं होने दी जायेगी, जबकि अन्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है। इसलिए सरकार को इन सब पहलुओं पर विचार करना चाहिए ।

श्री के० नारायण राव (वोविली): सरकार ने गन्ना उत्पादकों को दिए जाने वाले गन्ने के मूल्य को ठीक रुप से विनियमित नहीं किया है। उन्हें गन्ने का पूरा मूल्य नहीं दिया जाता। उन्हें लाभ भी नहीं मिल रहा है। जब उत्पादन अधिक होता है तो गन्ने का मूल्य घट जाता है। परन्तु जब गन्ने की कमी हो जाती है तो उत्पादकों को चीनी के कारखानों को गन्ना देने के लिए बाध्य किया जाता है; और जब चीनी फालतू हो कर बच जाती है तो चीनी के कारखानों में गन्ना सप्लाई करने में उत्पादकों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है ।

शीरा गन्ने का महत्वपूर्ण उत्पादन है। अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत शीरे का बहुत कम मूल्य निर्धारित किया जाता है। शीरे का निर्धारित मूल्य 6 रुपये प्रति क्विंटल है जबकि इसका वास्तविक बाजार भाव 100 रुपये हैं। मंत्री महोदय को इस पहलू पर भी विचार करना चाहिये।

सरकार गन्ने का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है, परन्तु दुर्भाग्य की बात तो यह है कि चीनी उद्योग इसे अधिकतम मूल्य मान लेते हैं। गन्ने का न्यूनतम मूल्य उसमें शर्करातत्व के आधार पर निर्धारित किया जाता है। परन्तु यह प्रत्येक राज्य में इसलिए भिन्न होता है कि विभिन्न राज्यों में गन्ने में शर्करातत्व भी भिन्न भिन्न मात्रा में होता है। मंत्री महोदय को इस पहलू पर भी विचार करना चाहिए।

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर): इस बात पर ध्यान दिया गया है कि चीनी उद्योग में गन्ना उत्पादकों और उपभोक्ताओं में वास्तविक संकट है। परन्तु सरकार जो नीति अपनाती रही है, वह सदा मिल मालिकों के पक्ष में ही रही है। सरकार सदा उनके सामने घुटने टेकती रही है। मिल मालिकों ने चीनी पर से नियंत्रण हटाने की मांग की तो सरकार ने नियंत्रण हटा दिया। चीनी पर नियंत्रण हटाने के पश्चात चीनी के मूल्य में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त सरकार ने 1 अक्टूबर, 1971 और 30 नवम्बर, 1971 के बीच चीनी के उत्पादन पर छूट के रूप में उन्हें एक और रियायत दी है। यदि किसी कारखाने में चीनी के उत्पादन में 80 प्रतिशत से अधिक उत्पादन होता है तो उसे 17 रुपये प्रति क्विंटल की छूट दी जाती है। अत: इस तरह से भी मिलमालिकों को ही लाभ पहुंचाया जाता है। चीनी मिल-मालिक संघ सुचारू रूप से संगठित

होने के कारण बहुत प्रभावशाली हैं और सरकार पर इनका प्रभाव है। इसलिए सरकार भी इन्हीं की सलाह पर चलती है। यहां तक कि उन्होंने खंडसारी के एकड़ों में गन्ने की पिलाई पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।

इन्हीं चीनी मिल मालिकों की और गन्ने के मूल्य की भारी राशि बकाया है और यह बकाया राशि प्रत्येक राज्य में करोड़ों रुपये है। ये मिल मालिक इस राशि के ब्याज को भी स्वयं ही हड़प कर जाते हैं और इसी राशि पर भीरी ब्याज कमा रहे हैं जो गन्ना उत्पादकों को मिलनी चाहिए थी। यदि यह राशि गन्ना उत्पादकों को मिल जाती तो वे गन्ने के उत्पादन में वास्तव में वृद्धि करते। प्रतीक्षा कर बिल्कुल थक जाने के पश्चात अब उन्होंने अन्य फसलें उगानी शुरू कर दी है।

अब चीनी के उत्पादन में कमी होने के कारण संकट उत्पन्न होने जा रहा है। और अगले वर्ष इस संकट का सामना करना पड़ेगा। सरकार मिल मालिकों से ही सलाह क्यों लेती है ? सरकार के अपने ही वक्तव्य से यह बात स्पष्ट हो गई है कि सरकार ने केवल जोयंट स्टाक कम्पनियों एवं सहकारी क्षेत्रों की सलाह ली है, गन्ना उत्पादक संघ की नहीं, जबकि भारत में अखिल भारतीय गन्ना उत्पादक संगठन है।

मिल मालिक गन्ने के मूल्य निर्धारित करने के सम्बन्ध में गन्ना नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत संवैधानिक उपबन्धों का उल्लंघन कर रहे हैं।

गन्ना नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत दो बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार को गन्ने के मूल्य में वृद्धि करनी चाहिए। एक तो वैकल्पिक फसलों से आय तथा दूसरे उनकी वास्तविक उत्पादन लागत। इन सब बातों के होते हुए भी सरकार ने गन्ना उत्पादकों की 100 रुपये प्रति क्विंटल की मांग पर बहुत कठोर रुख अपनाया है। परन्तु गन्ना उत्पादकों के लिए वर्ष 1966 में जो 72.37 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किया गया था वह अभी तक लागू है, जबकि उत्पादन लागत अब पहले से बहुत बढ़ गई है। और किसान को खाद आदि महंगा मिलता है। अत : कृषि मंत्री को गन्ने का 100 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित करते हुए इस सदन में एक वक्तव्य देना चाहिए। जहां तक उड़ीसा का सम्बन्ध है अत्यावश्यक वस्तुएं अधिनियम के अन्तर्गत गन्ना नियंत्रण आदेश के अनुसार गन्ने का मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए।

सरकार को चाहिए कि गन्ने का मूल्य निर्धारित कर इसे संबंधिक उपबन्ध का रूप दे।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद): जब चीनी के मूल्य बढ़कर 235 रुपये प्रति बोरी हो गये तो मंत्री महोदय ने सहकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के मिलों और अन्य चीनी मिल संगठनों को सुझाव दिया कि कम से कम 60 प्रतिशत चीनी का भण्डार वसूली की चीनी के अतिरिक्त 150 रुपये प्रति मीटरिक टन के भाव से सरकार को दी जाये। मंत्री महोदय के इस सुझाव को सब ने स्वीकार किया है। अत : दिल्ली में चीनी 2.10 रुपये प्रति किलो से अधिक नहीं बेची जानी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति चीनी आधिक मूल्य पर बेचेगा तो उसे कारावास का दण्ड मिलना चाहिए।

वर्ष 1969–70 से चीनी के उत्पादन में प्रतिवर्ष कमी हुई है जो इस वर्ष तक घटकर 33 लाख मीटरिक टन रह गया है। पिछले दो वर्षों में चीनी का उत्पादन 11 लाख मीटरिक टन कम हुआ है। जबकि इसके साथ इसी अवधि में चीनी की खपत में 12 लाख मीटरिक टन की वृद्धि हुई है। हमें बंगला देश को 3 लाख मीटरिक टन चीनी का निर्यात करना है और हमारे देश की न्यूनतम आवश्यकता 15 लाख मीटरिक टन से कम नहीं है। इस वर्ष किसी भी प्रकार से हमें 41 लाख मीटरिक टन चीनी का उत्पादन करना होगा।

हमारे यहां गन्ना बहुत अधिक है परन्तु भय इस बात का है कि कहीं इसे गुड़ अथवा खण्डसारी बनाने के लिये उपयोग में ना लाया जाए, जिससे चीनी की कमी हो सकती है। इसलिए मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वे चीनी मिल मालिकों और सहकारी चीनी कारखानों से कहे कि वे गन्ना उत्पादकों को कम से कम 10 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से गन्ने का मूल्य दे बशर्ते कि गन्ने की वसूली 10 प्रतिशत तक हो और अधिक वसूली के लिए अनुपातत: मूल्यों में वृद्धि की जाए। क्योंकि कई राज्यों में ऐसा किय जा रहा है।

Shri Ram Chandra Vikal (Baghpat) : It is not only the sugarcane for which the grower is not getting proper prices but in the case of other produce also he is not getting reasonable prices. But more unfortunate are the consumers who do not get sugar at reasonable rate. This is a grave problem in our country and Government should consider this serious situation and find out some remedy so that the canegrowers may get reasonable prices of sugarcane and sugar may be distributed at a fair price.

The suggestion put forward by my hon. friend Shri Pandey that the price of sugar cane should be fixed at Rs. 10/- is very reasonable and I support this suggestion.

But instead of giving the reasonable price of sugarcane to the canegrowers the Sugar Mill owners in the District of Meerut have not paid arrears of sugarcane price to the growers for the last two years. Government should make some fruitful efforts to persuade Mill owners to clear the arrears due to the canegrowers, otherwise there is every possibility of the production of sugarcane having been gone down, and there may be sugar crisis in the country.

Government do not care for the interest of the cultivators because the cultivator is not politically aroused and they do not resort to strikes and other such agitations. Therefore, in order to help the cultivators in realistic manner Government must take more concrete and remedial steps in this regard and adopt a realistic policy towards the cause of cultivators.

*श्री के० सूर्यनारायण (एलूरु): इस बात का बहुत खेद है कि उत्पादकों की दशा सुधारने और गन्ने का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के बारे में सरकार द्वारा और माननीय सदस्यों द्वारा कहा तो बहुत कुछ जाता है परन्तु हमें सरकार के रुख से बड़ा दुख होता है। सरकार मिल मालिकों की आवश्यकताओं और सुविधाओं के बारे में बहुत प्रयत्नशील रहती है किन्तु गन्ना उत्पादकों की आवश्यकताओं के बारे में विचार भी नहीं करती और कुछ किया भी नहीं है ।

सरकार ने चीनी के बारे में कोई स्पष्ट नीति नहीं अपनाई है। जबकि इस सम्बन्ध में बहुत भ्रान्ति और गड़बड़ हो रही है। गन्ना उत्पादक को गन्ने का उत्पादन करने में कोई रुचि नहीं रही है क्योंकि उसे गन्ने का उचित मूल्य मिलने का कोई आश्वासन नहीं है। किसान गन्ने की अपेक्षा यदि तम्बाकू या अन्य नकदी फसलों की खेती करने लगे तो उसे बहुत लाभ होगा और देश को विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होगी और किसान प्रसन्न रहने लगेगा। यही कारण है कि चीनी के बारे में डांवाडोल स्थिति को देखते हुए किसान की रुचि अन्य प्रकार की नगदी फसल की खेती करने में हो गई है। यही कारण है कि गत दो या तीन वर्षों में गन्ने की खेती में कमी आने से चीनी का उत्पादन 45 लाख मीटरिक टन से घटकर 22 लाख मीटरिक टन रह गया है। परन्तु ऐसा लगता है कि सरकार इस स्थिति पर गंभीरता से ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को केवल उत्पाद-कर प्राप्त करने की ही चिन्ता है।

हम मांग करते रहे हैं कि किसान के लिए गन्ने का उचित मूल्य निर्धारित किया जाए जो कम से कम 10 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है और इसे भी राष्ट्रीय समस्या के समान समझना चाहिए और सरकार को चाहिए कि सभी दलों के नेताओं को आमंत्रित करके गन्ने के मूल्य निर्धारित करने के मामले पर कोई सर्व सम्मित से समाधान निकाले। परन्तु दुर्भाग्य का विषय है कि सरकार मिल मालिकों के पक्ष की नीति अपनाती है। और इनकी मांग पर चीनी को अनियंत्रित कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप चीनी का मूल्य बढ़कर 2.25 रुपये प्रति किलो से भी अधिक हो गया है। इसका मुनाफा मिल मालिकों को ही मिलता है।

*तेलुगु में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Telugu.

खेतीहर मजदूरों की मजूरी में भी वृद्धि हुई है, जिसका प्रभाव गन्ना उत्पादक पर ही पड़ा है। अतः गन्ना उत्पादक की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। इसलिए सरकार को गन्ने का उचित मूल्य निर्धारित करने संबंधी निर्णय लेने में विलम्ब नहीं करना चाहिए।

श्रीमती शीला कौल (लखनऊ) : वर्ष 1971 के आरम्भ होने पर 14 लाख मीटरी टन चीनी भंडार में उपलब्ध थी। इस वर्ष 33 लाख मीटरी टन चीनी के उत्पादन का अनुमान था। इस प्रकार चीनी की कुल मात्रा 47 लाख टन होती है। इस मात्रा में से 40 लाख मीटरी टन चीनी की देश में खपत होने की आशा है।

मंत्री महोदय ने चीनी के उत्पादन तथा गन्ने के मूल्य के विषय में उद्योगपतियों से बातचीत की थी। अच्छा होता यदि मंत्री महोदय गन्ना उत्पादकों से बात करते जो उन्हें कठिनाई के मूल कारणों से अवगत करा सकते थे। यदि उद्योगपतियों की अपेक्षा गन्ना उत्पादकों को अधिक मूल्य प्रदान करने की पहल सरकार द्वारा की गई होती तो अच्छा होता।

गन्ने के मूल्य उत्पादनों की मांगों से बहुत कम हैं। मंत्री महोदय आश्वासन देते हैं कि चीनी क मूल्यों में वृद्धि को रोका जायेगा परन्तु लखनऊ आदि सभी स्थानों पर चीनी के मूल्य बढ़ गये हैं।

गन्ना उत्पादकों की लगभग 11 करोड़ रुपये की राशि बकाया है। मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में यह नहीं बताया है कि गन्ना उत्पादकों को इस राशि का भुगतान किस प्रकार कराया जायेगा। जब तक किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता वह अधिक उपज प्राप्त करने के लिये अच्छे उर्वरकों का उपयोग नहीं कर सकता। अतः मैं अनुरोध करती हूं कि गन्ने का मूल्य 10 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिये।

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur) : The price of sugarcane has many a times been the subject of discussion in this House. But to my utter surprise, despite the agitation by the farmers, the Government paid no heed to this matter. The price of sugar is going up but the rates of the Sugarcane are the same. Sugar Magnates of the country gratify the Government officials and try that the prices of sugarcane are not raised. Nearly 7 crores are due on the mill-owners on this account. The Government has not bestowed their attention as to how that money is to be given to sugarcane growers.

The cost of sugarcane production has gone high due to rise in the rates of power fertilizers. Labour and water charges also have gone up but there has been an increase in the price of sugarcane.

I would request the Hon. Minister to look into the matter and fix the sugarcane price at Rs. 10 per quintal.

We should keep our agriculturists happy and then only can we keep our industries running, otherwise our economy will not register a break-through. The minimum price of the sugarcane should be declared at Rs. 10 a quintal. Everybody knows that the price of sugar is increasing and at certain places it is not available at all. So, please enhance the price of the sugarcane.

खाद्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : चीनी संबंधी नीति के बारे में अनेक प्रश्न उठाये गये हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न गन्ना उत्पादकों को दिये जाने वाले मूल्यों के बारे में था। इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि सरकार ने उत्पादकों, इस उद्योग तथा कृषि मूल्य आयोग द्वारा निकाले गये निष्कर्षों पर विचार करके 9.4% की वसूली करने के लिये गन्ने का न्यूनतम मूल्य 7 रुपये 37 पैसे निर्धारित किया है। यह तो कम से कम मूल्य है परन्तु गन्ना उत्पादकों को इससे अधिक मूल्य लेने से भी नहीं रोका जायेगा। अब क्योंकि हमने अन्य खाद्यान्नों के मूल्यों में भी वृद्धि नहीं की है और इसलिये गत वर्ष निर्धारित किये गये गन्ने के मूल्यों में भी वृद्धि करना आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि अन्यथा इसके कारण अन्य खाद्यानों के मूल्यों पर भी प्रभाव पड़ता। चीनी के

बढ़ते हुए मूल्यों को तथा अपने पास चीनी के पर्याप्त भण्डार को देखते हुए हमने चीनी पर से नियंत्रण हटा लिया ताकि चीनी के कोई मूल्य स्थिर हो सकें। परन्तु जब चीनी के मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों से भी ऊंचे जाने लगे तो सरकार ने उद्योगपतियों, सहकारी मिलों के मालिकों के साथ विचार-विमर्श किया और यह स्वीकार किया गया कि कुछ राज्यों में गन्ने के मूल्य 8 रुपये 50 पैसे, पश्चिम उत्तर प्रदेश में 9 रुपये, महाराष्ट्र में 11 रुपये तथा पंजाब में 9 रुपये प्रति क्विंटल होगा। यह सच है कि आंध्र प्रदेश, तामिलनाडु, मैसूर तथा उड़ीसा आदि ने यह स्वीकार नहीं किया है परन्तु हमारा प्रयास है कि गन्ने के न्यूनतम मूल्य साढ़े आठ रुपये से कम न हो। यह बात सभी ने स्वीकार की है। यदि किसी राज्य में निर्धारित मूल्य नहीं मिल रहे हैं तो ऐसे मामले मेरी जानकारी में लाये जायें और हम इनकी जांच करेंगे।

माननीय सदस्य जानते हैं कि चीनी के मूल्य बहुत बढ़े हैं। चीनी मिल मालिकों ने स्वीकार किया है कि व उपभोक्ताओं के लिये अपनी चीनी का 60 प्रतिशत 2 रुपये प्रति किलो के मूल्य पर देंगे। इससे घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलगी।

इसीलिए दिल्ली के अलावा अन्य सभी स्थानों पर उपभोक्ताओं को चीनी निर्धारित मल्य पर ही मिलेगी। अन्य स्थानों की अपेक्षा दिल्ली में इस का भाव 9 पैसे अधिक होगा।

प्रो० एस० एल० सक्सेना (महाराजगंज) : क्या आपने खुले बाजार में चीनी के भाव निर्धारित कर दिये है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : हमने खुले बाजार में चीनी का भाव निर्धारित नहीं किया है।

एक माननीय सदस्य : यह पांच रुपये प्रति किलो बेची जायेगी।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यह पांच रुपये तो नहीं हो सकता। अगर किसी को अधिक चीनी की आवश्यकता होगी तो वह इसे अधिक मूल्य देकर बाजार से खरीद सकेगा। यह मूल्य 2.35 पैसे या 2.3 पैसे से अधिक नहीं होगा, क्योंकि अब जबकि यह समझौता किया गया हो तो चीनी का मूल्य यही है।

चीनी संबंधी नीति के बारे में भी प्रश्न पूछा गया था। इस सम्बन्ध में हम कुछ उद्देश्यों का पालन कर रहे हैं। हमारा एक उद्देश्य यह भी है कि देश में उत्पादन बढ़ाया जाये ताकि उपभोक्ताओं की मांग को पूरा किया जा सके। यदि उत्पादन में वृद्धि होती है तो हम विदेशों को भी उचित मात्रा में चीनी भेज सकेंगे। चीनी नीति के बारे में हमारा दूसरा उद्देश्य यह है कि उपभोक्ताओं को चीनी उचित मूल्य पर मिलती रहे और तीसरा उद्देश्य यह है कि गन्ना उत्पादकों को गन्ने का उचित मूल्य प्राप्त करवाया जा सके। इन्हीं उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुये ही हमने गत वर्ष निर्धारित चीनी के मूल्यों में वृद्धि करना उचित नहीं समझा। परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि गन्ना उत्पादक को अपना गन्ना उसी मूल्य पर बेचना पड़ेगा। मुझे यह घोषणा करते हुये प्रसन्नता हो रही है कि लगभग 85 प्रतिशत क्षेत्रों के उद्योगपतियों तथा सहकारियों ने गन्ने के अधिक मूल्य देना स्वीकार कर लिया है और इन क्षेत्रों में गन्ने का मूल्य 8.50 रुपये होगा। इसके बावजूद भी यदि इस क्षेत्र में कोई शिकायत होती है तो सरकार उसकी जांच करेंगी।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामबाद) : क्या यह नीति में यह परिवर्तन सरकार द्वारा सारे वर्ष के लिए किया जा रहा है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : अभी तो नीति में परिवर्तन करने का हमारा कोई इरादा नहीं है परन्तु यदि परिस्थितियों में कोई परिवर्तन हो गया और उद्योगपतियों का व्यवहार अच्छा न रहा तो सरकार उपभोक्ताओं को चीनी उचित दर पर उपलब्ध करवाने तथा गन्ना उत्पादकों को गन्ने का उचित मूल्य दिलवाने के लिए चीनी नीति में परिवर्तन करेगी। यह ठीक है कि चीनी का उत्पादन कम हुआ है परन्तु दूसरे कारण कम क्षेत्र में गन्ने की खेती होना और काफी क्षेत्र में फसल खराब होना है। कम क्षेत्र में इसकी खेती करने का कारण यह

है कि गन्ने की खेती तैयार होने में पूरा एक वर्ष लग जाता है जबकि इसी अवधि में अनेक फसलें तैयार हो जाती हैं जिससे उन्हें अधिक लाभ होता है ।

श्री बी० पी० मौर्य (हापुड़) : यदि सरकार अब मूल्य नहीं बढ़ायेगी तो यह क्षेत्र और भी कम हो जायेगा।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : ऐसा नहीं है। हम एक फसल की दूसरी के साथ स्पर्धा नहीं चाहते फिर भी हम यह सुनिश्चित करेंगे कि चीनी का उत्पादन बढ़ाने में हमें जितने गन्ने की आवश्यकता है वह उपलब्ध हो ।

मुझे आशा है कि चीनी मिल-मालिकों और सहकारिताओं के बीच निश्चित हुए मूल्यों से कुछ अधिक ही गन्ना उत्पादकों को मिलेंगे ।

मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जायेगी।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : May I know whether Members of Lok Sabha would also be invited while fixing the price ?

Shri F. A. Ahmed : They always express their opinion and we always invite their opinion and we will continue to do so.

अध्यक्ष महोदय : सभा आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जायेगी परन्तु अनेक सदस्य कई प्रस्ताव रखे जाने के लिए बहुत इच्छुक थे जो आपातकाल तथा अन्य विधेयक और प्रस्ताव आदि लाए जाने के कारण लिए नहीं जा सके। फिर भी मैं सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि उनके वे सभी प्रस्ताव आदि जो तब भी महत्व के होंगे आगामी सत्र में लाए जाने का अवसर दिया जाएगा ।

दूसरी बात मुझे युवा सदस्यों के बारे में कहनी है। यह सभा धीर-गंभीर व्यक्तियों की सभा है और गर्मी दिखाने से काम नहीं चलता और इससे न ही तर्क को कोई बल मिलता है।

अन्त में मैं सभी सदस्यों को इस आपात की घड़ी में उनकी देशभक्ति और एकता के लिए आभारी हूं। संसद द्वारा दिखाई गई यह एकता अभूतपूर्व है और इसका श्रेय विपक्षी दलों के नेताओं को है जिन्होंने बड़ी दूर-दर्शिता दिखाई और समस्याओं को देशभक्ति के दृष्टिकोण से देखा और उदारता का परिचय दिया।

प्रधान मंत्री तथा उनके सहयोगियों को भी बहुत श्रेय जाता है। उन्होंने संकट काल में देशभक्ति का परिचय दिया। वास्तव में सैना, जवानों, मक्तिवाहिनी, संसद सदस्यों, जनता, सब ने इस संकट के समय एकता का परिचय दिया। हम उन्हें धन्यवाद तथा बधायी देते हैं।

बिहार के पूर्णिया जिले में संथालों की हत्या के समाचार के संबंध में दिये गये वक्तव्य के बारे में चर्चा

DISCUSSION *RE* : STATEMENT ON REPORTED KILLING OF SANTHALS IN PURNEA DISTT. OF BIHAR.

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

[MR. DEPUTY SPEAKER IN THE CHAIR]

श्री कार्तिक उरांव (लोहारडगा) : सभा के सामने बिहार के पूर्णिया जिले में हुई अमानवीय हत्याओं का मामला है। वहां की संथाल जाति पर अत्याचार हुए हैं। इसके बारे में माननीय मंत्री ने 29 नवम्बर, 1971 को जो वक्तव्य दिया था, उसमें सही बातें नहीं बतायी थीं। मैं चाहता हूं कि उसके संबंध में सारा विवरण यहां प्रस्तुत करूं कि यह घटना कैसे, कहां और क्यों घटी ?

एक छोटे से भूमि के टुकड़े के कारण झगड़ा हुआ जिस पर कानूनी तौर पर आदिवासियों का कब्जा था।

जमींदारों के कुछ लोगों ने कंदन परनु की भूमि पर फसल बो दी। क्योंकि जमीन उसकी थी, अतः वह कुछ लोगों को साथ लेकर वहां गया और उसने उन्हें ऐसा करने से रोका। दोनों ओर से कुछ गर्मागर्मी हुई। जमींदारों के आदमी 5, 6 थे, अतः वे लोग गांव में वापिस आ गये।

थोड़ी देर के बाद वे लोग लगभग 150 लोगों को लेकर डा० लक्ष्मीनारायण के घर पर पहुंच गये। इन लोगों के साथ कुछ किराये के गुण्डे भी थे और उनमें से अनेक लोगों के पास लाठियां, तीर और भाले इत्यादि थे। डा० लक्ष्मीनारायण एक जमींदार हैं। उनमें से कुछ लोग पैदल थे और कुछ साईकिलों पर सवार थे। प्रत्येक के पास कोई न कोई शस्त्र था। इनके साथ जीपें, स्टेशन वैगन, ट्रैक्टर और मूर्दों को उठाने वाले ट्रेलर भी थे। ये लोग घटनास्थल पर पहुंच गय।

आदिवासियों ने जब यह देखा कि ये लोग काफी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, तो वे अपने घरों में घुस गये। इन लोगों ने बाहर से द्वार बन्द कर दिये। तब इन लोगों ने सड़क की दाई ओर की सभी इमारतों को आग लगानी आरम्भ कर दी। जब आग का धुंआ निकला तो अन्दर बैठे आदिवासियों का दम घुटने लगा। वे बाहर आना चाहते थे। एक दो व्यक्ति बाहर आ भी गये। एक व्यक्ति पर तो 125 गज के फासले से ही गोली मार दी गई और उसे घसीट कर ट्रेलर के पास ले जाया गया, जिसे वहां इसी उद्देश्य के लिए रखा हुआ था। अन्य व्यक्तियों को लगभग 25 गज की दूरी से गोली मारी गयीं, और उन्हें ट्रेलर के पास घसीट कर ले जाया गया।

इसके बाद चार अन्य व्यक्तियों को गोली मारी गयीं और उन्हें उसी ट्रलर में फेंक दिया गया। चार अन्य व्यक्तियों को जीवित पकड़ लियां गया। उनके कपड़े उतारे गये और उन्हें नंगे करके ट्रेलरों तक घसीटा गया। बाद में उन्हें मार दिया गया। गोली मारने से पूर्व घरों के भीतर तीन अविवाहित नवयुवतियों और एक विवाहित महिला को नंगा किया गया और फिर उन्हें धक्के मार कर बाहर निकाल दिया गया। क्योंकि वे नंगी थीं, अतः आधे मील तक इधर उधर भागती रहीं। बाद में उन्हें गोली मार दी गयी। इन निंदनीय कृत्यों के मेरे पास चित्र हैं, जिन्हें मैं सभा पटल पर रखना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप भाषण जारी रखें। मैं आपको बताऊंगा।

श्री कार्तिक उरांव : मरने वालों में 9 पुरुष और एक नारी थी जिनमें से चार को आग में जलाया गया। 34 व्यक्ति घायल हुए। उन्हें इस तरह अपंग किया गया कि वे जीवन में बेबस होकर रह गये हैं। इनमें एक 80 वर्ष की बुढ़िया थी और कुछ 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चे थे।

उपाध्यक्ष महोदय : आप चित्र मुझे सौंप दें। हम इस पर विचार करेंगे और निर्णय होने पर इन्हें सभा पटल पर रखे गये समझा जायेगा।

Shri Sambhu Nath (Saidpur) : The matter under discussion is very important. The Prime Minister or at least the State Minister Shri Pant should have been present.

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मैं मानता हूं कि यह एक गम्भीर घटना है। किन्तु श्री पन्त इस समय राज्य सभा में हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें यह मालूम है।

श्री कार्तिक उरांव : 7 दिसम्बर को जब मैं वहां पहुंचा, तो अनेक स्थानों पर गोलियों के निशान थे और कई स्थानों पर खून पड़ा था। 10 शवों को बाद में उसी ट्रेलर पर कोसी नदी पर लाया गया, जो वहां से 25 मील दूर है।

एक गांव को आग लगाने के बाद ये लोग फिर पास के दूसरे गांव में चले गये जो वहां से लगभग 150 गज की दूरी पर था। यह भी संथालों का ही गांव था। यहां भी उन्होंने हमला किया, आग लगाई और अंधाधुंध गोलियां चलाईं। वहां के अधिकारी लोग इस प्रकार नियोजित ढंग से नियुक्त किये गये थे सब डा० लक्ष्मीनारायण

की जाति के थे। उनके घर पर सशस्त्र पहरा भी बैठा दिया गया था। बाद में यह पहरा वहां से हटाकर मीरगंज में बिठा दिया गया, जो घटनास्थल से लगभग आधा मील दूर है। यह सब इससे कुछ दिन पहले की बात है।

ध्यान देने की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी 22 नवम्बर के दिन, सभी अधिकारी अपने मुख्यालय से बाहर थे, केवल एस० डी० ओ० तथा अपर अधीक्षक पुलिस ही वहां थे। आश्चर्य की बात तो यह है कि सशस्त्र पुलिस लगभग 1½ मील की दूरी पर थी, परन्तु उन्हें न तो गोलियां की आवाज़ ही सुनाई दी और न ही आग की लपटें ही दिखाई दी। उन लोगों ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। जिला मुख्यालय में इन अत्याचारों की सूचना 23 नवम्बर को 3 बजे दोपहर पहुंची। यह स्थान घटनास्थल से 20 मील की दूरी पर है। यह सूचना वहां घटना वाले दिन लगभग आधे घंटे में अर्थात 6,7 बजे तक पहुंच जानी चाहिये थी।

जब पुलिस के अपर अधीक्षक घटनास्थल पर पहुंचे, तो संथालों में काफी घबराहट फैली हुई थी और वे किसी के भी पास जाने से घबराते थे। यह तो सौभाग्य की बात थी कि अपर अधीक्षक आदिवासी था। अतः उस पर विश्वास करके उन्होंने उसे सारी बात सुनाई। उन्होंने उसे यह भी बताया कि किस प्रकार मृतक शरीर कुरसेला गांव के पास कोसी नदी के घाट लाये गये और किस प्रकार उन्हें बोरियों में डाल कर नदी की ओर ले जाया गया।

इसके बाद ये सभी अधिकारी पुर्णिया जिले के ए० एस० पी० के साथ गये। तत्पश्चात्, ट्रैक्टरों को खोज निकाला गया। वे लोग नदी के किनारे इधर-उधर टहल रहे थे और पांच बजे के लगभग एक लाश पानी के ऊपर तैरती हुई मिल गई। कहानी का अंत यहां भी नहीं हुआ। इन लोगों ने अपने बचाव का प्रबंध पूर्ण योजनाबद्ध ढंग से कर लिया था। उनका बचाव पक्ष यह बताता है कि इनके घरों के संथालों ने ही आग लगाई है। उन्होंने वृक्ष पर एक तीर लगा दिया और एक तीर एक घर पर लगा दिया। मार्ग में नियोजित ढंग से धान और गेहूं फेंक दिया गया।

प्रशासन पूर्णतया असफल रहा है और अपने कर्तव्य की अवहेलना की है। यदि वास्तव में कोई व्यक्ति कर्तव्य की अवहेलना के लिये दोषी पाया जाता है तो वह उसी तरह का उत्तरदायी है जिस तरह से कोई व्यक्ति हत्या के लिये उत्तरदायी हैं और उस पर मानव हत्या का दोष आसानी से लगाया जा सकता है।

उन सभी अपराधियों को जिन्होंने इस अपराध में सक्रिय भाग लिया है, पकड़ा जाना चाहिये तथा उन्हें कठोर दंड दिया जाना चाहिये। उन्हें निवारक दंड दिया जाना चाहिये ताकि यह हमेशा के लिये एक सबक बना रहे। इस देश में विधि तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिये यह मार्ग दर्शी सिद्धांत होना चाहिये।

आदिवासी क्षेत्र में इस सारी गड़बड़ का कारण भूमि-सुधार है और हमें यह भूमि सुधार अवश्य लाने चाहिये। इस मामले पर एक राज्य का विषय के रूप में विचार नहीं किया जाना चाहिये। ऐसा न केवल मध्य प्रदेश में ही हो रहा है, अपितु आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान तथा गुजरात में भी हो रहा है। हमें इस स्थिति का दृढ़ता से सामना करना चाहिये। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को तुरंत जांच करने तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सौंपा जाना चाहिये। केन्द्रीय जांच ब्यूरो को अपना कर्तव्य निभाना चाहिये। केवल इसी तरीके से सच्चाई सामने आ सकती है और दोषी व्यक्तियों को दंड दिया जा सकेगा तथा सही व्यक्तियों को इनाम दिया जा सकेगा।

बिहार के मुख्यमंत्री के लिये एक अध्यादेश जारी करने के लिये निर्देश दिया जाना चाहिये जिसमें उन्हें यह कहा जाये कि पट्टेदारी अथवा चकबंदी के इन अधिकारों को कानूनी अधिकारों में परिवर्तित किया जाये। किसानों तथा खेतिहरों को कानूनी अधिकार दिये जाने चाहिये।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : इस घटना की गम्भीरता को आप स्वयं भी अनुभव करते हैं। केवल यही एक ऐसी घटना नहीं है जिससे सतारूढ़ दल के हमारे मित्रों को परेशानी हुई है। यह तो उन घटनाओं में से एक घटना है, जो समूचे देश में घटती रहती है। दिन दिहाड़े तलवारों तथा शस्त्रों से लैस 150 व्यक्तियों ने गरीब

ग्रामीणों तथा संथालों का पीछा किया और उनकी लड़कियों के साथ बलात्कार किया तथा उनकी हत्या की। जब वे इससे भी संतुष्ट न हुए तो उन्होंने उनके घरों को भी जला दिया। संथालों को उनके घरों के अंदर जीवित जला दिया गया। हम यह जानकर हैरान होंगे कि वे व्यक्ति आज भी निश्चिन्त होकर घूम रहे हैं क्योंकि पुलिस अधिकारी जमींदारों के रिश्तेदार हैं। अतः वे किस प्रकार से इन हत्यारों तथा बदमाशों के विरुद्ध जो देश को लूट रहे हैं, कार्यवाही कर सकते हैं ? जब तक कांग्रेसी शासक जिस बात का प्रचार करते हैं, उसे वास्तव में लागू नहीं करते, तब तक इसका कोई हल नहीं निकलेगा।

भूमि समस्या मुख्य बात है। यह घटना भी इसी कारण हुई। जब तक भूमि संबंधी कानूनों में पूर्णतया परिवर्तन नहीं किया जाता और किसानों के हित की दृष्टि से इसमें समुचित सुधार नहीं किया जाता और इस संबंध में एक वास्तविक क्रांति नहीं लाई जाती, तब तक हम इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को नहीं रोक सकते।

उत्तर प्रदेश के एक गांव में भी ऐसी ही घटना हुई। उस घटना के बाद ग्रामीणों को भागना पड़ा। ऐसी रिपोर्ट है कि पांच व्यक्ति मारे गये। पुलिस 'लाक-अप' के अन्दर एक कृषि मजदूर को मारा गया। इस प्रकार की घटनायें और जगह भी हो रही हैं।

डा० सरदीश राय और भारतीय साम्यवादी दल के एक अन्य सदस्य ने आज प्रातः यह वक्तव्य दिया है कि पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। अध्यक्ष महोदय ने मंत्रालय से इस संबंध में जानकारी मांगी। मंत्री महोदय ने पुलिस की रिपोर्ट को ठीक बताते हुए सदस्यों को ही दोषी बताया।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी भी विषय विशेष पर चर्चा के समय तर्कसंगत बातों का उल्लेख किया जाना चाहिये।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : ये सब बातें तर्कसंगत हैं। ऐसा पश्चिम बंगाल में भी हो रहा है। हम चार सदस्य गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री कृष्ण चन्द्र पन्त से मिले थे और उनका ध्यान उन फसल के साझेदारों की ओर दिलाया था जिन्हें आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना विधेयक के अन्तर्गत गिरफ्तार और नजरबन्द किया गया था। इनका दोष केवल यह था कि उन्होंने अपना हिस्सा मांगा था। जमींदारों और जोतदारों ने पुलिस को बुलाया, जिनका पुलिस ने पक्ष लिया और साझेदारों को जेल में ठूंस दिया। यह सरकार की वर्तमान नीति का परिणाम है। इसके समाधान के लिए भूमि संबंधी प्रश्न पर गहराई से विचार करना होगा। भूमि संबंधी समस्या के सुलझ जाने पर ये सारे प्रश्न हल हो जायेंगे।

श्री पी० के० घोष (रांची) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के पूर्णिया जिले में रूपसपुर गांव में जो कुछ हुआ, वह समाज के उच्च वर्गों, राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के लिए शर्म की बात है, क्योंकि ये समाज के दुर्बल वर्ग के लोगों की रक्षा करने में असमर्थ रहे। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिये। कुछ सदस्यों ने कहा है कि उक्त घटना का कारण भूमि संबंधी विवाद था। किन्तु ऐसी घटनाओं के कारण इसके अतिरिक्त और भी होते हैं। उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों पर अत्याचार करते हैं। सर्व जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को दबाये जाने की घटनाएं न केवल बिहार में होती हैं, बल्कि ऐसी घटनाएं आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी घटती रहती हैं। हमें इन घटनाओं को यह कहकर नहीं टालना चाहिये कि ये विधि और व्यवस्था के मामले हैं और इनके लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। केन्द्रीय सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और प्रधान मंत्री को व्यक्तिगत रूप से ऐसी कार्यवाही करनी चाहिए, जिससे ऐसी नृशंस घटनाएं भविष्य में न हों।

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : I would like to point out in regard to the incidents in Purnea District of Bihar that there was no land dispute at all. It was an organised attack made by the upper class people on the weaker sections of the society. They set the whole locality on fire. People began to flee from their houses to save their lives. Some of these people were shot dead. All this was done in order to force them to leave the village for ever. So that the upper classes of village may occupy their lands.

Another thing I would like to point out is that the police officers and the B.D.O. of the area helped the assailants in this barbarous act. Moreover, the police officers accepted the bail and released the murderers. These cases were not forwarded to the Magistrate. It is very surprising. The District Secretary of the C.P.I. Shri Mohan Sharma, went to pacify those who were attacked. It was taken ill by the assailants and they raided the house of Shri Sharma. He reported the matter to the police but the police ignored it with the result that he was beaten severely. However, fortunately, he was saved in the Hospital.

Prohibitory orders under section 144 have been issued throughout Madhubani Subdivision, but it is not applicable to the Zamindars and their men. It is a very strange thing. It appears that the Government takes the side of the Zamindars and therefore they are encouraged to indulge in atrocities towards the Harijans. The people of that area are not coward. But I have told them not to take revenge.

Several murders have been Committed in my Constituency. Recently, the chief of the village was Shot dead. More than 50 murders have been Committed in Champaran in Bihar.

We are all of the view that the country should make progress and there should not be any bloodshed. But when politics comes in the way, we have to take some steps to solve the problem.

The state Government has sent the text of an ordinance to the central Government for its approval so that the problem in the state may be solved. But it has a limited scope. It has not been given any approval so far.

Laws are not fully implemented in the state of Bihar. Under the land Tenancy Act, the owner cannot interfere in the matter of crops. But the owners always interfere in this matter. All the Judges and Magistrates and even the Politicians are related to the Zamindars. We will not be able to establish peace in case these atrocities are not stopped. I request that an all party enquiry committee should be sent there, to make an enquiry.

*श्री शलिन कुमार सरकार : (जयनगर) बिहार के पूर्णिया जिले में घटी दुर्घटनाएं अभूतपूर्व हैं। हरिजनों के साथ ऐसा व्यवहार हमारे लिये कलंक है और हम सब को इसकी भर्त्सना करनी चाहिये। इस प्रकार की घटनाओं की आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों में बाढ़ सी आ गई है। क्या हरिजनों और पिछड़े हुए आदिवासियों के साथ हमेंशा इसी प्रकार का व्यवहार किया जाता रहेगा ?

बिहार सरकार को दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिये। हरिजनों के प्रति इन ज्यादतियों की सब ओर से तीव्र भर्त्सना की जानी चाहिए। वे न्याय की मांग कर रहे हैं।

हमने उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए संकल्प पारित किये हैं, समितियों और आयोगों की नियुक्ति की है जिन्होंने अपने प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किये हैं लेकिन दुर्भाग्य से उनकी किसी भी सिफारिश को क्रियान्वित नहीं किया गया है। समस्त देश का ध्यान प्रधान मंत्री की ओर है और आशा की जाती है कि वह इस समस्या का शीघ्र समाधान करेंगी। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये सरकार को सख्त कार्यवाही करनी चाहिये और इसके लिये दोषी अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये।

*बंगाली में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

प्रधान मंत्री, परमाणु उर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमति इंदिरा गांधी) :--इस गम्भीर दुखद: घटना के बारे में विभिन्न दलों द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता को मैं अच्छी प्रकार समझती हूं । यह सुनिश्चित करने के लिये कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो हर सम्भव कार्यवाही की जायेगी ।

जहां तक उक्त विशेष घटना का सम्बन्ध है, उसकी जांच की जा रही है । हम इस बारे में बहुत निकट से सम्पर्क बनाये हुए हैं और यदि आवश्यक हुआ तो केन्द्र भी इस मामले में कार्यवाही करेगा। लेकिन इस प्रकार के अपराध की निन्दा बहुत ही कड़े शब्दों में की जानी चाहिये ।

अनेक ऐसी मान्यताएं अभी भी विद्यमान हैं जिनमें परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है । इन बातों का उपचार यही है कि इसके विरुद्ध प्रबल लोकमत तैयार किया जाये और सरकार भी उसके अनुसार कार्यवाही करे ।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : I want that some Minister should be sent there to make an enquiry.

Shrimati Indira Gandhi : We will do so.

श्री कृष्ण चन्द हाल्दर (औसग्राम) : मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करूंगा कि एक सर्वदलीय संसदीय जांच समिति का गठन किया जाये जो घटना स्थल का दौरा करे और घटना की जांच कर के अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे ।

Shri Dhan Shah Pradhan (Shahdol) : I condemn the atrocities committed on the Harijans. If these things are allowed to continue I think Harijans and Adivasis would be forced to form their groups. I have received a letter from the people of Vindhya region wherein it has been stated that political leaders have ousted the Harijans from their homes and big businessmen have deprived them of their land. The atrocities committed on the Santhals yesterday is a blot on the image of our country. I would like to point out again that the Harijans and Adivasis in all the states are being victimised and the Government have failed to provide adequate safeguards to them. They are harassed in every field, whether in office or factories. Injustice is being done to the Adivasi candidates and their seats are given to other persons who can afford to bribe the officers.

Apart from this incident some Harijans and Advasis of Bastar and Bilaspur were also murdered. It shows that such atrocities to these poor people are on increase. I warn the Government that if effective steps are not taken to save them from such harassment they will have to form their group and in that case Government would not be able to suppress them. Their economic as well as social condition is deplorable. I request that the Government should take proper steps to ameliorate their condition if they are really interested in bringing socialism in the country.

Shri Chandra Shailani (Hathras) : Even after 24 years of Independence Government have not been able to stop such painful and inhuman happenings in various parts of our country. It is a matter of shame for all of us that even in this scientific age the attitude of so called high class Hindus towards the Harijans has not changed and they are being meted out in human treatment by Hindus.

About two years ago the Harijans of Bisara village in Aligarh district were put to a great harassment by these high class Hindus. The poor people approached S.P. and District Magistrate but of no avail. It clearly shows that the officers are not serious in removing these evils from the society. The people of scheduled caste are being exploited today politically, socially and economically. Now, we want a change in this social set-up. I am confident of this fact that if these people are not provided with their fundamental

rights and they are not given fair treatment there would be a revolution in the country and like the people of Bangla Desh they will also remove themselves from the clutches of injustice.

I suggest to the Central Government that State Governments should be issued directions to ensure effective performance of the police because of the fact that such incidents take place with the connivance of the police.

श्री भालजी भाई परमार (दोहद) : अत्यंत खेद की बात है कि 24 वर्ष के पश्चात भी हमारे देश में इस प्रकार की दर्दनाक घटनाएं घटती हैं । मंत्री महोदय के वक्तव्य से ज्ञात होता है कि इस घटना में आदिवासियों पर भारी अत्याचार किये गए हैं । स्पष्ट विदित होता है सम्बद्ध पुलिस अधिकारी का रवैया इनके प्रति अच्छा नहीं था तथा पुलिस ने अपना कर्त्तव्य नहीं निभाया । मेरा निवेदन है कि आदिवासियों को पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिये क्योंकि वे बहुत पिछड़े हुए हैं ।

हरिजनों और आदिवासियों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं तथा उनकी उचित समय पर सहायता नहीं की जाती । मेरा सुझाव है कि सरकार प्रत्येक राज्य में हरिजनों और आदिवासियों की सुरक्षा के लिए पुलिस का एक पृथक सैल स्थापित करे । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिये आयुक्त के प्रतिवेदन पर प्रत्येक वर्ष विचार-विमर्श किया जाना चाहिये । खेद है सरकार ने इस ओर उचित ध्यान नहीं दिया । मैं प्रधान मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह आदिवासियों का पिछड़ापन हटाने का भी नारा बुलन्द करें ।

Shri Swami Brahmanandji (Hamirpur) : The atrocities inflicted upon the Harijans and Adivasis are not new things to us. Even in our religious books it is stated that 'Shudras' and women have no right to study Vedas (*Interruptions*). According to such books *shudras* do not deserve respect even if they are blessed with virtues. These books give undue importance and respects to *Brahmans*. I demand that these books should be reduced to ashes.

I feel that poverty is also a major factor of these incidents. Unless equal distinction of land is effected and unless wealth is nationalised the atrocities upon this exploited section of the society will not stop.

I am not the member of scheduled caste but I love them and I have all regard for them. I believe that unless casteism is removed from our society we will not prosper.

I am proud of these Harijans because they played a major role in the election in my favour.

Shri Bhagirath Bhanwar (Jhabua) : Different opinions have been expressed by different members here on the tragic incident narrated by Shri Uraon. Such incidents have occurred at several places but neither the State Governments nor the Centre have given a serious thought to the basic reasons responsible for them. Even after 25 years of our Freedom the untouchability prevails in the country and laws relating to this evil are violated quite freely. So the basic need is to enforce these laws very strictly. Quite a number of State and Central Commissions and Committees were set up for the economic and social upliftment of the Harijans and Adivasis, but their recommendations were not implemented. It is not only in Purnia but such incidents have happened in several States. Harijans and Tribal women have been raped and many atrocities inflicted upon these people. I suggest that a Parliamentary Committee should be set up to enquire into this incident and also the Government should give an assurance to check such things and also as to what do they propose to do in this regard.

It is not the subject of the state only it is a national issue for which the Central Govt. would have to assert. They should give a serious thought to this problem and come to certain conclusion.

श्री आर० डी० भन्डारे (बम्बई-मध्य) : श्री कार्तिक उरांव से 29 नवम्बर को हुई 14 सन्थालों की हत्या तथा 36 सन्थालों के घायल होने की घटना सुनकर मुझे अत्यधिक दुःख हुआ है । इससे देश की मर्यादा को बहुत धक्का पहुंचा है । वस्तुतः ऐसी घटनायें देश के अनेक भागों में देखी हैं कुछ के समाचार मिल जाते हैं और कुछ घटनाएं अनजानी ही रह जाती हैं । जब-जब हमें ऐसी हृदय विदारक घटनाओं का पता लगता है तब-तब हम यहां इस संबंध में चर्चा करते हैं । यह एक सामाजिक अभिशाप है परन्तु अधिकांश लोग इस पर गंभीरता से विचार-विमर्श नहीं कर रहे हैं । यद्यपि यह खुशी की बात है कि आज एक तो प्रधान मंत्री जी ने ऐसी घटनाओं की भर्त्सना की है वहां अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजाति के आयुक्त भी आज गैलरी में बैठे यह चर्चा सुन रहे हैं। परन्तु इस समस्या को हल करने अथवा इस सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिये कारगर उपाय किये जाने चाहिये । इसके लिये हमें दो प्रकार के कार्यक्रम बनाने होंगे--एक तो अल्पावधि और दूसरा दीर्घावधि कार्यक्रम--अल्पावधि कार्यक्रम के अधीन केन्द्रीय स्तर पर अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के हितों की रक्षा के लिये एक विशिष्ट केन्द्रीय सैल बनाया जाये तथा इसकी शाखायें समूचे देश में फैलायें जायें और ज्योंही कोई ऐसी घटना हो तो तुरन्त उसे केन्द्रीय सैल की जानकारी में लाया जाये । दीर्घावधि कार्यक्रम के अधीन इस सामाजिक अभिशाप के विरुद्ध लोगों में प्रबल सामाजिक जागृति उत्पन्न की जाये । सभी राजनैतिक दल और सामाजिक संस्थान इस अभिशाप को समाप्त करने का बीड़ा उठायें । ये संठगन केवल भाषणों से नहीं प्रत्युत् ठोस रूप में निश्चित कार्यक्रम तैयार करके इस सामाजिक बुराई को दूर करने का प्रयास करें । इस कार्य के लिये सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के द्वारा लोगों में इस बुराई के विरुद्ध जागृति पैदा की जानी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : आज सभा का आखिरी दिन है और इस समय हम एक गंभीर दर्दनाक घटना के बारे में चर्चा कर रहे हैं । श्री एस० एम० बनर्जी का सुझाव है कि आज सभा की कार्यवाही एक घन्टे के लिये बढ़ा दी जाए । सभा का क्या मत है ।

संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री बी० शंकरानद) : समय बढ़ाने की बजाये बोलने के इच्छुक सदस्यों को दो-दो मिनट बोलने दिया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से सभा चाहती है कि कार्यवाही को एक घन्टे और बढ़ा दिया जाए । अतः अब सभा की कार्यवाही 3 बजे समाप्त होगी । अब श्री शम्भू नाथ !

Shri Sambhu Nath (Saidpur) : The question of atrocities on the Harijans and Adivasis has been discussed in the House quite a number of times. Some of my friends here have said that this problem is related to land but there are many other problems also.

I am very happy to find that now the Harijans and Adivasis after thousands of years of slavery, have got new enlightenment and courage to fight for and secure their due rights and they are now duly contributing towards the social and economic growth of the country. They have still to continue their struggle to get their due.

But the difficulty is that the Government do not come forward to help these peopie. Whenever any case of assault is brought to the notice of the Minister he disposed it of by saying that it is a state subject.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि सदस्य विचारणीय विषय के बाहर चले जाते हैं । मैं अब और सदस्यों को समय नहीं दे सकता ।

Shri Sambhu Nath : It must be treated as a national problem and Centre should take legislative measures to solve it even by amending the constitution, if necessary.

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : The tragic incident of Purnea district is a big challenge to our democracy. The trouble is connected with a land dispute. When Santhal tenents were reaping the harvest on disputed land about 150 armed gangsters attacked them and burnt their houses. Earlier, also it was stated by the Government that it is a State subject. But if we want to prevent the recurrence of such incidents it is imperative that a Central Act be enacted.

It is necessary that guns given to Landlords in Bihar be taken away from them. It is a matter of shame that the State Government is trying to shield the guilty people. Let that Government be dismissed.

The amount of Rs. 300 given for the rehabilitation to the families of the deceased is insufficient and it should be increased.

Shri Anandi Charan Das (Jajpur): It is a matter of great shame that such incidents should continue to occur even after 25 years of the attainment of independence. If the Government keep quiet over such matters it would not be good.

It is our experience that whenever there is a case of assault on Harijans and Adivasis the police invariably sides with landlords and as a result guilty people escape punishment.

So far as this particular incident is concerned it appears to be a pre-planned affair. We want to know what the police, C.I.D. and vigilance department are doing. This should be enquired into.

If we want to prevent the recurrence of such incidents land should be given to the tiller, otherwise the slogan of socialism would be a sheer mockery.

Shri S. C. Besra (Dumka) : So many incidents of repression of Adivasis and Harijans are taking place in the country. The Central Government should take interest in this problem so that such incidents do not happen again. The Government of Bihar do not pay attention to such incidents in the state.

It is wrong to think that Santhals would continue to pull on with tyranny. If the present attitude to these people continued this would create a problem for the country. The Government should, therefore, change its attitude towards these people.

श्री कुमार माझी (क्योंझर) : यह खेद का विषय है कि सभ्यता के इस युग में 14 सन्थालों की हत्या कर दी गई तथा 30 को बुरी तरह घायल कर दिया गया क्योंकि वे लोग अपनी भूमि की रक्षा के वैध अधिकार का उपयोग कर रहे थे । वे लोग साझीदारी पर खेती कर रहे थे और अपने भाग की मांग कर रहे थे। उन्हें उनके अधिकार से वंचित कर दिया गया और उन पर हमले किए गए ।

यह कोई इक्का-दुक्का मामला नहीं है । ऐसी अनेक घटनाएं देश के विभिन्न भागों में होती रहती हैं । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को संविधान में कुछ विशेष आरक्षण दिये गए । जहां उन लोगों के अधिकारों का हनन होता है वहां सरकार को अधिक सतर्क रहना चाहिए ।

बिहार सरकार ने इस बारे में अपेक्षित कार्यवाही नहीं की है । भारत सरकार को इस मामले की जांच करानी चाहिए । यदि इसे बिहार सरकार पर ही छोड़ दिया गया तो संथालों को उचित न्याय नहीं मिल सकेगा । दोषी व्यक्तियों को उपयुक्त दण्ड मिलना चाहिए ।

Shri Chhotey Lal (Chail) : A number of such incidents are taking place in the country. The Government should take steps to ensure that such incidents do not recur.

The economic condition of the Adivasis and Harijans who were the original inhabitants of the country has deteriorated as they have been rendered landless. The people who posses the land also have the guns and as such they are terrorising the 18 to 20 crore people.

We were born in this country and it is a matter of great injustice that we should remain landless. We have the same right to land as we have the right to share air and sunlight like others. There is no reason that 18-20 crore Harijan-Tribals should not have any right on land.

The condition of labour is bad. Their wages are meagre and they are being exploited. A Wage Board should be set up for fixing wages of agricultural labour. They must get a need-based wage.

I am thankful to you for allowing me to speak.

Shri Ramji Ram (Akbarpur) : Mr. Deputy Speaker, I am thankful to the Prime Minister for providing us an opportunity of an open discussion by setting up a Parliamentary Committee for the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

The people belonging to higher castes are responsible for oppression and exploitation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Unless this exploitation ends the lot of the Harijans is not going to improve. In villages, casteism is well entrenched. The traditional beliefs of caste superiority reign supreme. In this atmosphere scheduled castes and scheduled tribes can't get justice.

Article 335 of the Constitution provides that claims of Scheduled Casets and Scheduled Tribes to appointment to Government posts would be taken into consideration consistently with the maintenance of efficiency of administration. The provision stands in the way of appointment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes to higher posts. This provision should be amended suitably.

Shri Sadhu Ram (Phillaur) : Mr. Deputy Speaker, the matter of Santhal killings in Bihar is before this House. Incidents like this are not confined to Bihar only. Similar tragic incidents are happening everywhere in the country. The members belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes of this house have repeatedly drawn the attention of the Government to the said plight of Harijans and to the atrocities and miseries to which those sections of the society are subjected to, but nothing has been done to remove their sufferings.

Central Government passes the responsibility of protection of Harijans on State Governments while the State Governments say that the responsibility should be shouldered by the Central Government. Consequently, 20 crore people are growing under continued atrocities of majority community.

Shrimati Minimata Agamdas (Janjgir) : Even after a lapse of 24 years of Independence, Harijans and Scheduled Tribes are being subjected to atrocities and inhuman treatment. Central Government can't shirk its responsibility. Government should appoint a Commission to probe into such ineidents and to suggest ways and means to stop recurrence of such incidents.

More and more Harijans should be recruited to the Army. Those people who are found responsible for heinou crimes against women should be given stringent and deterrent punishment.

Shri Jagannath Mishra (Madhubani) : Purnea incident was very heinous and condemnable. Even Prime Minister has expressed grave concern over this incident. That

is not enough. A full investigation should be made of this incident and culprits should be punished so that a sense of confidence might be felt by these tribes. The Government should also take urgent and immediate steps to see that such incidents do not take place in future.

Great disparity of wealth is the main cause of such incidents. This also needs to be removed.

A committee of members of Parliament should go into basic causes of such incidents and should suggest ways to remove them. Government should implement those suggestions for restoring the shaken confidence among the Harijans.

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह घटना बहुत ही दारुण, अमानवीय और बर्बर घटना है । इस घटना को सुनने के बाद राज्य मन्त्री औपचारिक रूप से वक्तव्य देने के लिये इस सभा में आये थे और इस घटना पर सरकार की गम्भीर चिंता व्यक्त की थी । प्रधान मंत्री भी इस सभा में आयी थीं और जब उन्हें इस घटना के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया तो उन्होंने गहन दुःख व्यक्त किया था और उन्होंने सभा को यह आश्वासन दिया कि यह सुनिश्चित करने के लिये उचित कदम उठाये जायेंगे कि जांच सही ढंग से हो । इससे यही पता चलता है कि सरकार इस समस्या की ओर कितनी गम्भीर है ।

जब राज्यमंत्री ने वक्तव्य दिया तो कुछ सदस्य अनुपस्थित थे । मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार रुद्रपुर गांव की भूमि के एक प्लाट पर झगड़ा हुआ था । इस प्लाट पर कुंदन मुरुनू ने खेती बाड़ी की थी जो संथाल टोला का था । 22 नवम्बर को सायं लगभग 3.30 बजे लगभग 150 व्यक्तियों की एक भीड़ तीर कमानों, भालों और गंडासों आदि से लैस होकर प्लाट में आयी और धान की कच्ची फसल को काटना प्रारम्भ कर दिया । जब धान की फसल काटी जा रही थी तब कुछ व्यक्ति उन पर निगरानी रख रहे थे । जब कुछ संथाल, जो पास में ही रहते थे, विवादग्रस्त भूमि पर पहुंचे तो उन्हें भगा दिया गया । फिर वह जनसमूह संथाल टोला में आया और उनके साथ बन्दूकें / ट्रेक्टर, ट्रेलर और स्टेशनवैगन लिये और भी लोग मिल गये । दोनों जनसमूहों ने संथाल टोला को घेर लिया, घरों को बाहर से ताले लगा दिये और उन्हें आग लगा दी । कुल मिला कर 45 घर जला दिये गये, कुछ लोगों को घायल भी किया गया । वे कत्ल किये गये कुछ लोगों के शव ट्रेक्टरों में ले गये । राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार घरों में से चार शव मिले थे और दस शव कोसी नदी के किनारे से मिले थे । इसके अतिरिक्त इस आक्रमण में 33 व्यक्ति घायल हुए थे ।

संथालों द्वारा दर्ज करवाई गई रिपोर्ट में 29 व्यक्तियों के नाम बताये गये हैं, इस सम्बन्ध में 65 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है । फ़रार अभियुक्तों के विरुद्ध वारंट जारी किये गए हैं और छानबीन चल रही है । बिहार के मुख्यमंत्री उस गांव में भी गये थे । वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी वहां पर ठहरे हुए हैं ताकि कोई ऐसी घटना पुनः न हो ।

पुलिस के उप-अधीक्षक और सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी मुअत्तिल कर दिये गये हैं । जांच पूरे जोरों पर चल रही है । इस जांच का कार्यभारी अधिकारी भी अनुसूचित जन-जाति से सम्बन्धित है । फ़रार लोगों की 200 एकड़ से अधिक भूमि को कुर्क कर लिया गया है । पुलिस फ़सल को कटवा रही है । फ़रार लोगों के 11 मकान भी कुर्क किये गये हैं । दो व्यक्तियों ने आत्म समर्पण कर दिया है । इस घटना में प्रयुक्त कार, ट्रेक्टर, जीप आदि को भी पकड़ लिया गया है । बिहार विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री सिधांशु को भी गिरफ्तार कर लिया गया । सेशन कोर्ट ने उनकी ज़मानत स्वीकार कर ली थी । भूतपूर्व अध्यक्ष के पुत्र श्री प्रदुमल सिंह के विरुद्ध भी वारंट जारी किए गये हैं । वह फ़रार है । किसी भी व्यक्ति को इस बात का संदेह नहीं होना चाहिये कि इस मामले को वैसे ही ठप्प

कर दिया जायेगा सरकार किसी प्रकार के दबाव के आगे नहीं झुकेगी और दोषी व्यक्तियों को, चाहे वे कितने ही प्रभावशाली क्यों न हों, अवश्य दण्ड दिया जायेगा । यदि राज्य सरकार को केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सेवा की आवश्यकता हुई तो वह भी उपलब्ध की जायेगी ।

अग्निकांड से पीड़ित व्यक्तियों में अब तक 3000 रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है । गृह कार्य मंत्री भी उस क्षेत्र का दौरा करेंगे । हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जांच कार्य संतोष-जनक तरीके से हो । इस सम्बन्ध में मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहता हूं कि यह एक नाजुक मामला है और राज्य का विषय होने के कारण केन्द्रीय सरकार के लिये हस्तक्षेप करना आसान नहीं है ।

यद्यपि यह घटना विशेष अनुसूचित जन-जातियों के विरुद्ध हुई है तथापि यह मुख्यतः जमीनदार और काश्तकार की आम समस्या है। जब से भूमि सुधार लागू किये जाने लगे हैं, समस्त देश में से ऐसी घटनाओं के समाचार मिलते रहते हैं । जब जमीनदारों को अपनी सम्पत्ति से हाथ धोना पड़ता है तब वे इस प्रकार के तरीकों का प्रयोग करते हैं जो बहुत ही निन्दनीय है । मैं जनता से अपील करता हूं कि वे शान्तिपूर्वक ढंग से समाजवादी समाज की स्थापना करें । इस प्रकार के हिंसात्मक कार्यों की हम निन्दा करते हैं । हम नहीं चाहते कि जमीनदार काश्तकारों की या काश्तकार जमीनदारों की हत्या करें । जमीनदारों को भूमि सुधार लागू करते में सहयोग देना चाहिये । हमें दुःख है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 25 वर्ष बाद भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों पर इस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं । संविधान में अस्पृष्यता के उन्मूलन की व्यवस्था की गई है । इस सम्बन्ध में कई कानून भी बनाये गये हैं । हमें समस्या की जड़ तक पहुंचना चाहिये । जब तक लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं होता इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता । केवल कानून पास करने से हम इस बुराई को दूर नहीं कर सकते । स्वामी ब्रह्मानन्द ने कहा था कि धन का वितरण होना चाहिये । समाजवादी ढंग का समाज स्थापित करने का भी यही अर्थ है । सरकार इसी दिशा में कार्यवाही कर रही है । हम यह नहीं चाहते कि केवल कुछ हाथों में ही समस्त देश का धन जमा रहे । अतः हम चाहेंगे कि इस प्रकार की घटना भविष्य में न घटे ।

उपाध्यक्ष महोदय : लोक सभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित होती है ।

इसके पश्चात लोक सभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned sine die.

MGIPRRND—Ist-I8LSS/71—24-2-72-490